पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 पुनरीक्षण R487-I/16

मोहर सिंह पुत्र श्री गनपत सिंह

निवासी–इमलावादा तहसील–ग्यारसपुर

जिला–विदिशा म.प्र.

विरूद्ध

1. नंदनी त्रिवेदी पत्नी श्री पुष्कर प्रमाशंकर त्रिवेदी

कृषक ग्राम–इमलावदा तहसील–ग्यारसपुर

जिला–विदिशा निवासी भोपाल म.प्र.

2. गोपाल सिंह पुत्र रामकरण सिंह रघुवंशी

निवासी ग्राम इमलावदा तहसील–ग्यारसपुर

जिला–विदिशा म.प्र.

3. सुमन पत्नी उधम सिंह जाति मालवीय

निवासी ग्राम–इमलावदा तहसील–ग्यारसपुर

जिला–विदिशा म.प्र.

अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर जिला–विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक **15/अपील/14–15** में पारित आदेश दिनांक **18–12–2015** के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत **धारा–50** म.प्र. भू–राजस्व संहिता **1959.**

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी का विवादित आदेश अवैध एवं न्याय प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, अनावेदक क्रमांक–1 ने नामांतरण आदेश दिनांक 21–04–2011 के विरूद्ध अपील दिनांक 20–01–2015 को लगभग 3 वर्ष बाद प्रस्तुत की थी अनावेदक–1 ने अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु अपने आवेदन में कोई पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया था.

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-487-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। प्रशासकीय सदस्य	